fgekpy izn'k fo/kku lHkk lfpoky;

अधिसूचना

दिनांक, 2 दिसम्बर, 2025

l[;k % fo0l0&fo/k;u&fo/;d@1&134@2025-&&हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) जो आज दिनांक 2 दिसम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
यशपाल,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

————————

2025 dk fo/;d l[;kd 21-

fgekpy izn'k uxj fuxe ¼f}rh; l'kks/ku½ fo/;d] 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 36 का संशोधन।
3. निरसन और व्यावृत्तियां।

————————

2025 dk fo/;d l[;kd 21-

fgekpy izn'k uxj fuxe ¼f}rh; l'kks/ku½ fo/;d] 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए fo/;d।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1- lf{kIr uke vkj ikjEHk-&&(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह 1 नवम्बर, 2025 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2- /kkjk 36 dk la'kks/ku-&&हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 36 में,—

(क) उप—धारा (1) में ''और तत्पश्चात् प्रत्येक अढ़ाई वर्ष के अवसान पर'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ख) उप—धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(2) निगम के महापौर और उप महापौर की पदावधि उसके निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी, जब तक कि इस बीच महापौर या उप महापौर के रूप में वह अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे देता या जब तक उप महापौर के मामले में वह महापौर के रूप में निवार्चित नहीं कर दिया जाता और वह अपनी पदावधि के अवसान पर अपने पद पर नहीं रहेगा:

परन्तु यदि महापौर या उप महापौर का पद रिक्त हो जाता है या इस कार्यकाल के दौरान मृत्यु, त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हो जाता है तो रिक्ति होने के एक मास की अवधि के भीतर उसी वर्ग से शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन करवाया जाएगा। ''।

3- fujlu vkSj O;kofÙk;k-&&(1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का 4) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

—————————

mís'; vkSj dkj.kksa dk dFku

वर्तमान में, महापौर और उप महापौर की पदावधि अढ़ाई वर्ष (दो वर्ष छह माह) तक सीमित है। यह अल्पावधि निर्वाचित महापौर और उप—महापौर को निगम का प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व करने और नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं करता है। परिणामस्वरूप निगम में विकास कार्य और शासन जनसाधारण की प्रत्याशा की पूर्ति करने में प्रायः असफल रहते हैं। स्थिरता, निरंतरता और निगम के भीतर दीर्घकालिक योजना और सतत् विकास क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए महापौर और उप महापौर की पदावधि अढ़ाई वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करना आवश्यक है। अतः शासन और नगर निगम की विकासात्मक दक्षता में वृद्धि हेतु जनहित में यह संशोधन प्रस्तावित किया जाता है।

चूंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन किया जाना अत्यावश्यक है, इसलिए हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 अक्तूबर, 2025 को हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश संख्यांक 4) प्रख्यापित किया था जिसे अधिसूचना संख्या एल.एल.आर.—डी(6)—19/2025—लेज, तारीख 01 नवम्बर, 2025 द्वारा राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 03 नवम्बर, 2025 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को बिना उपान्तरण के नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधयेक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

¼foØekfnR; flag½
प्रभारी मंत्री।

धर्मशाला
तारीखः...........................

——————————

foŸkh; Kkiu

–शून्य–

———————

iR;k;kftr fo/kku lEcU/kh Kkiu

–शून्य–

————————

fgekpy izns'k uxj fuxe ¼f}rh; la'kks/ku½ fo/ks;d] 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए fo/ks;dA

¼foØekfnR; flag½
प्रभारी मंत्री।

——————————

सचिव (विधि)।

धर्मशाला
तारीखः........................, 2025

—————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 21 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (2nd AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 36.

3. Repeal and saving.

Bill No. 21 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (2nd AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (2nd Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 2025.

2. Amendment of section 36.—In section 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994,—

(a) in sub-section (1), the words "and thereafter at the expiration of every two and half years", shall be omitted; and

(b) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) The term of office of the Mayor and Deputy Mayor of the Corporation shall be five years from the date of election, as such, unless in the mean time he resigns his office as Mayor or Deputy Mayor or unless in the case of Deputy Mayor is elected as the Mayor and he shall cease to hold his office on the expiry of his term of office:

Provided that if the office of the Mayor or Deputy Mayor is vacated or falls vacant during the tenure on account of death, resignation or no-confidence motion, a fresh election within a period of one month of the vacancy shall be held from the same category, for the remainder period. ".

3. Repeal and saving.—(1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2025 (4 of 2025) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present, the term of the Mayor and Deputy Mayor is limited to two and a half years. This short tenure does not provide sufficient time for the elected Mayor and Deputy Mayor to effectively represent and lead the Corporation. As a result, the development works and governance in the Corporation often fail to meet the expectations of the public. To provide stability, continuity, and adequate time to focus on long-term planning and sustained development activities within the Corporation, it is necessary to extend the term of the Mayor and Deputy Mayor from two and a half years to five years. Therefore, the amendment is proposed in the public interest to enhance the governance and developmental efficiency of the Municipal Corporation.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendment in Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 was required urgently, therefore, the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2025 (Ordinance No. 4 of 2025) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Hon'ble Governor of Himachal Pradesh on 28th October, 2025, which was published in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 1st November, 2025 *vide* Notification No. LLR-D (6)- 25/2025-Legn, dated 1st November, 2025. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular enactment without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIKRAMADITYA SINGH)
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA
The……,2025

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (2nd AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).

(VIKRAMADITYA SINGH)
Minister-in-Charge.

Secretary (Law).

DHARAMSHALA
THE……,2025